न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

पत्रावली सं. 50/15/136 एलआर

1. भागुराम पुत्र श्री भूराराम जाति बलाई निवासी सुदरासन तहसील डीडवाना जिला नागौर
2. तुलसीराम पुत्र श्री चूनाराम उम्र 50 वर्ष जाति बलाई निवासी भिराना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. मालाराम पुत्र टीकूराम जाति बलाई निवासी चिड़ासरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—आवेदकगण/प्रार्थीगण

ब ना म

1. धापूदेवी धमपत्नी श्री चन्द्राराम जाति जाट निवासी रामपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा, लोसल जरिये शाखा प्रबन्धक

—अनावेदकगण/अप्रार्थीगण

आवेदन अं. धारा 136 एल.आर. ऐक्ट बाबत

दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा सर्वेशीटी

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री सोहनलाल वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक– 30.07.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के एकाकी खाते कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 1698/2141 रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित रही है। पार्थीगण की उपरोक्त भूमि कस्बा लोसल की सीमा का अंतिम खसरा नंबर है। उपरोक्त खसरा नं. के तीन दिशाओं उतर, पूर्व, पश्चिम में ग्राम रामपुरा की सीमाएं अवस्थित है तथा दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1698 कस्बा लोसल की सीमाएं अवस्थित है। नये भू प्रबन्ध के दौरान ग्राम रामपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नम्बर 537, 538, 539 का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूलवश गलत रूप से बना दियाा गया। नक्शा सर्वे शीट में जहां कस्बा लोसल की आराजी खसरा नं. 1698/2141 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, उसी स्थान पर ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नं. 537 का अंकन कर दिया गया और उक्त खसरा नं. का रकबा 1.50 है0 जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तव में उक्त स्थान पर ग्राम रामपुरा की कोई अवस्थित नहीं है। उपरोक्त भूमि के पूर्वी दिशा में भूमि खसरा नम्बर 539 तन ग्राम रामपुरा अवस्थित है जिसका नक्शा सर्वे शीट एवं मौके के अनुसार रकबा 2.85 है. है जबकि भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नया राजस्व रिकार्ड जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बनाते समय उक्त खसरा नम्बर 539 रकबा 1.35 है0 गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। आवेदन पत्र की मद सं. 1 व 2 में वर्णित अनुसार ग्राम रामपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी व नक्शा सर्वे शीट में खसरा नं. 537 का अंकन गलत रूप से हुआ है जो हजफ किये जाने योग्य है तथा भूमि ग्राम रामपुरा (लोसल) के खसरा नं. 539 का रकबा 2.85 है0 के स्थान पर 1.35 है. गलत रूप से दर्ज हुआ है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेश में हुई त्रुटियों को दुरूस्त करने का अधिकार होने के कारण प्रस्तुत आवेदन न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं अनावेदिका सं. 1 भूमि खसरा नं. 537 व 539 ग्राम रामपुरा(लोसल) की खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं अनावेदक सं. 2 को भूधारक के रूप में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है तथा अनावेदक सं. 3 को रहनगृहीता के रूप में औपचारिक पक्षकार बनाया गया हैं। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम रामपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी व नक्शा सर्वे शीट में अंकित खसरा नं. 537 मय रकबा हजफ किया जावें तथा ग्राम रामपुरा (लोसल) की तन में अवस्थित भूमि खसरा नं. 539 का रकबा 1.35 है0 के स्थान पर 2.85 है. दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया जावें। आवेदन के समर्थन में जमाबंदी ख.नं. 1698/2141 कस्बा लोसल, चालू जमाबंदी ख.नं. 303, 304, 537, 538, 539 ग्राम रामपुरा, नक्शा ट्रेश ग्राम रामपुरा, नक्शा सर्वेशीट ग्राम रामपुरा, नक्शा सर्वेशीट कस्बा लोसल, नक्शा सर्वेशीट मौजा लोसल तहसील बधाल हाल दांतारामगढ निजामत फुलेरा, मिलान क्षेत्रफल ग्राम लोसल जमाबंदी संवत् 2044–47 कस्बा लोसल , मिलान क्षेत्रफल नये ख.नं. 534 ता 537, नक्शा सर्वेशीट ख.नं. 1698 आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदक सं. 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक सं. 1 जरिये वकील श्री सोहनलाल हाजिर हुए व इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि आवेदकगण का आवेदन स्वीकार किये जाने में मुझ अनावेदिका सं. 1 को कोई आपति नहीं है अपितु रिकार्ड दुरूस्त किये जाने में पूर्णतः सहमति व्यक्त की गई तहसीलदार, दांतारामगढ से रिपोर्ट ली गई।
3. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन में वर्णित अनुसार दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं.1 ने इकबालिया जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दुरूस्ती किये जाने में सहमति व्यक्त की गई।
4. हमने वकुलाय फरीकेन के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2071–74 ग्राम लोसल खाता सं. 379 खसरा नंबर 1698/2141 रकबा 1.32 है. की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से है तथा ग्राम रामपुरा की जमाबंदी संवत् 2070–73 के अनुसार खसरा नं. 537 रकबा 1.50 है0 की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम से अंकित है। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा अपने पत्र कमांक भूअ/4946 दिनांक 23.07.2015 में निष्कर्ष यह अभिशंसित किया

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

है कि पटवार मंडल पर उपलब्ध नक्शा लट्ठा में ख.नं. 1698/2141 का नक्शा नहीं बना हुआ है। सर्वेशीट 1989–90 में यह ख.नं. 1698 की उतरी सीमा के पास डोटेड लाईन से दर्शाकर ख.नं. 1698/2141 अंकित है। पटवारी द्वारा रामपुरा व लोसल के नक्शे का मिलान करने पर ग्राम रामपुरा की आराजी ख.नं. 537 नक्शे में अंकित है। ग्राम रामपुरा की आराजी ख.नं. 537 रकबा 1.50 ख.नं. 538 रकबा 1.31 ख.नं. 539 रकबा 1.35 है. धापूदेवी ध.प. चन्द्राराम जाट साहिन पीएलबी शाखा लोसल के दर्ज है जबकि मौके व नक्शे के अनुसार ख.नं. 539 का रकबा 2.85 है. है। वर्तमान में खातेदारी धापूदेवी के ख.नं. 538, 539 पर काबिज काश्त है जहां नक्शे में ख.नं. 537 अंकित है वहां प लोसल के आराजी ख.नं. 1698/2141 के खातेदार भागूराम वगैराह काबिज है। इस प्रकार ग्राम रामपुरा की आराजी ख.नं. 537 हजफ किया जाकर खसरा नं. 539 का रकबा 1.35 है0 के बजाय 2.85 है0 एवं जहां ग्राम रामपुरा का ख.नं. 537 नक्शे में दर्ज है उस जगह पर ग्राम लोसल के ख.नं. 1698 से लगते हुए लोसल का खसरा नं. 1698/2141 नक्शे में अंकित किया जाने का अनुरोध किया है। उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन दुरूस्ती योग्य है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन बाबत दुरूस्ती रिकार्ड एवं नक्शा सर्वेशीट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ की अभिशंसा अनुसार ग्राम रामपुरा (लोसल) की आराजी ख.नं. 537 हजफ किया जाकर ख.नं. 539 का रकबा 1.35 है0 के बजाय 2.85 है0 दुरुस्त किया जाने का आदेश दिये जाते है एवं इसी प्रकार ग्राम रामपुरा के नक्शे में अंकित ख.नं. 537 के स्थान पर ग्राम लोसल के ख.नं. 1698 के लगते हुए ख.नं. 1698/2141 नक्शा ट्रेस में अंकन/दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 30.07.2015 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ